न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS

16/00014

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 07 / 2016

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

1. श्री बदा पिता भला भील।
2. श्री दुदा पिता भला भील।
3. श्री मंगला पिता भला भील।
4. श्री मकना पिता भला भील बनाम निवासीयान वाजवाआंबा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाड़ा

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, कार्यालय–बी 59, बापु नगरा, पश्चिम रोड नं. 5, सेती, चित्तोड़गढ (राज.)।
2. तहसीलदार, तहसील सज्जनगढ।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ।

उपस्थित

श्री भगवत पुरी –अधिवक्ता प्रार्थी

श्री हीरालाल जैन, – अधिवक्ता अप्रार्थी स. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत् प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु

निर्णय

दिनांक :– 06–12–2017

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत् प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि, प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 10 रकबा 0.3872 हैक्टर मौजा ग्राम वाजवाआंबा तहसील सज्जनगढ में स्थित है, जो कदिमाना समय से प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त की होकर उक्त भूमि का स्वामित्व व आधिपत्य प्रार्थीगण के अनन्य कब्जे का है, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ ने अपने आदेश / अवार्ड क्रमांक एफ ( )राज/ भूमि अवाप्ति/

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

2014 दिनांक 12–08–2014 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 पाड़ी से दाहोद खण्ड के बाईपास एवं रोड़ विस्तार करने से कि.मी. 196.800 से 214.400 कि.मी. तक मे आने वाली भूमि को अवाप्त किये जाने के सम्बन्ध में अवार्ड जारी किया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड की उक्त वर्णित कृषि भूमि की मुआवजा राशि रूपया 242098/– प्रति हैक्टर की दर से कुल मुआवजा राशि रूपया 93740/– स्वीकृत की गई है, जो प्रतिकर राशि की दर भी बाजार मूल्य से अत्यन्त न्यून निर्धारित किया गया है। उक्त अवार्ड में प्रार्थीगण को दी प्रतिकर राशि को प्रार्थीगण स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3 का उक्त अवार्ड अविधिपूर्ण व मनमाना होने से अपास्त किए जाने योग्य है व प्रतिकर राशि पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति हैं तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करते हैं व Arbitrator के के द्वारा अवधारणा (Adjudication) चाहते हैं। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थीगणों को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 3(जी) (7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, जिसमें भूमि के बाजार मूल्य, अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रख कर अवार्ड पारित किया जाना आवश्यक है। परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रश्नगत अवार्ड पारित किया गया है, जो मनमाना, चंचल व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 2 श्री दूदा का पक्का मकान टीनशेड क्षेत्रफल 45 गुणित 60 कुल क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट का स्थित है, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि रूपया 264925/– मात्र ही दिलवाया है, जो अत्यधिक न्यून है। जबकि भवन निर्माण श्रम एवं मटेरियल की किमत प्रचलित बाजार दर 500/–रू0 प्रति वर्गफीट की दर से कुल राशि 13,50,000/– होती है, जो प्रार्थी दुदा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 श्री बदा के किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्ष 1 नीम का पेड़ व 10 नीलगिरी के पेड़ तथा प्रार्थी संख्या 4 श्री मकना का 1 आम का वृक्ष मौजुद है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रश्नगत अवार्ड में मात्र आम के पेड़ को सम्मिलित कर मुआवजा राशि रूपया 900/– दिलायी गई है, जो अत्यधिक न्यून

है, जिसे प्रार्थीगण प्रतिग्रहित नहीं करते हैं। भूमि पर स्थित कीमती लकडी के पेड व फलदार वृक्षों की कीमत रूपया 5000/— प्रतिवृक्ष की दर से 60000/— होती है, जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसके अलावा प्रार्थीसंख्या 4 श्री मकना को अवाप्तशुदा कृषि भूमि पर स्थित फलदार आम के पेड़ से प्रतिवर्ष 20000/— की आय भी होती है, जो भी प्रार्थी संख्या 4 प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 2 श्री दुदा का कुआ मौजुद है, किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रश्नगत अवार्ड में कुआ अंकित नहीं किया है एवं कोई राशि भी नहीं दिलाई गई है। कुए की कीमत 2.00 लाख है, जो प्रार्थी संख्या 2 प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रश्नगत अवार्ड पारित किया है, जो मनमाना व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित परिम्पत्ति कुआ, मकान, किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्षों का उचित मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। जिस कारण मामले में न्याय निर्णय किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे प्रार्थीगण की भूमि की बाजार दर रूपया 10.00 लाख प्रतिबीघा है। प्रार्थीगण की प्रश्नगत भूमि रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की किमत रूपया 25.50 लाख होती है तथा कृषि भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य 16.30 लाख होती है। कुल राशि रूपया 41.80 लाख जिस पर 100 प्रतिशत सोलेशियम रूपया 41.80 लाख कुल राशि रूपया 83.60 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थीगण प्रत्यर्थीगण से प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हैं। प्रार्थीगण अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग नहीं ले सके। प्रार्थीगणों को नोटिस जारी नहीं किया गया, सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण की इस कारण उपस्थिति एवं पैरवी नहीं की जा सकी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले में अवार्ड क्रमांक एफ ( )राज./ भूमि अवाप्ति/ 2014 दिनांक 12—08—2014 को प्रस्तावित किया है, जिससे प्रार्थीगण सन्तुष्ट नहीं हैं। भूमि के आस—पास का विकास जिस तीव्र गति से हुआ है, इस कारण वहां नोटिफिकेशन से पूर्व ही भूमि की लोकेशन व प्रोटेन्सी के अनुसार प्रार्थीगण की प्रश्नगत भूमिका बाजार मूल्य 10.00 लाख प्रतिबीघा से अधिक है।

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

है। प्रार्थी की प्रश्नगत अवाप्तशुदा भूमि एवं परिसम्पत्तियों का निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाकर तद्नुसार राशि दिलाये जाने हेतु निवेदन किया :–

क्र. सं.	सम्पत्ति	मूल्य
1	अवाप्त की गई कृषि भूमि का मूल्यांकन	2550000
2	परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन	1630000
	योग	4180000
		4180000
	100% तोषण (सोलेशियम)	4180000
	योग	8360000

उक्तानुसार राशि रूपया 83.60 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा विधिवत् जांच कराने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार द्वारा उसकी विधिवत् जांच रिपोर्ट एवं कार्यालय में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर पेश की जाती है और कानून के प्रावधानों के अनुसार ही प्रकरण में अवाप्त की जाने वाली भूमि का प्रतिकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। प्रार्थी ने मनमाने ढंग से उक्त सम्पत्ति का मूल्यांकन कर प्रार्थना पत्र पेश किया है, मौके पर जो स्थिति विद्यमान है, उसी अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड जारी किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अधिगृहण हेतु जारी अवार्ड राशि के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अवार्ड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अधिगृहण की गई भूमि का अवार्ड के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार उक्त अवाप्त की गई भूमि के भूमि अर्जन, पुनर्वासन एव पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर हेतु पारदर्शिता अधिनियम (RECTLARR), 2013 के तहत अवार्ड जारी करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पाड़ी से दाहोद खण्ड के अन्तर्गत राजस्थान भाग से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी), बांसवाडा/ बागीदौरा/ कुशलगढ को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12–04–2016 के माध्यम से सूचित किया जाकर, संशोधित अवार्ड जारी किये जाने हेतु निवेदन किया था। अधियिनयम के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि का प्रतिकर 3ए की दिनांक के समय डीएलसी दर के आधार पर राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज–6/ 2011/ पार्ट/ 26 दिनाक 14–06–2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र की सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर के निर्धारण हेतु भूमि की डीएलसी मूल्य को गुणक से गुणा किये जाने के उपरान्त निर्धारित कर उक्त भूमि के मूल्य का 100 प्रतिशत तोषण दिया जाना है तथा उक्त भूमि के 3 ए अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत् जारी अवार्ड की दिनांक तक ब्याज राशि 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से की जानी है एवं अवाप्त की गई भूमि पर स्थित संरचनाओं का भी भुगतान भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर हेतु पारदर्शिता अधिनियम (RFCTLARR) 2013 के अनुसार किया जावेगा एवं सक्षमै प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार अवार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रगतिधिन है। उक्त प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में अवार्ड जारी किया गया है तथा बिन्दु संख्या 4 के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी करने हेतु भा.रा.रा.प्रा. परियोजना कार्यान्वयन ईकाई चित्तोडगढ द्वारा संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं जिला कलक्टर को सूचित कर दिया गया है। प्रार्थीगण ने जिन आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह भी मनमाने ढग से राशि की मांग करने हेतु पेश किया है। कानून के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जों भी अन्तिम अवार्ड जारी किया जाता है, उसके अनुसार अप्रार्थी नं. 1 भुगतान

कर सकता है। उससे परे किसी प्रकार की कोई रकम क्षतिपूर्ति के रूप में अदा नही की जा सकती है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ द्वारा प्रस्तुत दिनांक 28–11–2017 को प्रस्तुत जवाब के अनुसार ग्राम वाजवाआंबा में स्थित सर्वे नम्बर 10 में कुल रकबा 0.3872 हैक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्ति हेतु अधिसूचना भारत के राजपत्र में 06 जुलाई, 2012 को प्रकाशित किया गया। उक्त भूमि बदा, दूदा, मंगला, मकन पिता भला, पुनी बवा भला भील निवासी वाजवाआंबा की खातेदारी में दर्ज थी। तत्पश्चात अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में बेसीक अवार्ड ग्राम वाजवाआंबा में उक्त भूमि की निर्धारित डीएलसी दर 242098/– प्रति हैक्टर होने से अवाप्त रकबा 0.3872 एवं एक मकान और आम का पेड़ की कुल राशि समस्त प्रतिकर सहित 395521/– का अवार्ड पारित किया गया, जिसका भुगतान सम्बन्धित खातेदारों को किया गया। इसके पश्चात उक्त भूमि का संशोधित अवार्ड दिनांक 16–01–2017 को तैयार किया गया, जिसमें उक्त भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों का समस्त प्रतिकर सहित कुल अवार्ड राशि 1034280/– बनी, जिसमें से पूर्व में भुगतान की गई राशि 395521/– को कम करते हुए शुद्ध देय प्रतिकर राशि 638759/– का अवार्ड पारित किया गया। जिसका भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों को किया जा चुका है। मौके पर उक्त भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भू–तल एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार) के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज हो चुकी है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाए। भूमि पर स्थित मकान मय दुकान एवं इस पर स्थित परिसम्पत्तियों की राशि का नियमानुसार 2 गुना किया जाकर गणना नहीं की गई है। आम के फलदार वृक्ष की किमत मात्र 900/– ही निर्धारित की

गई है, जो अत्यन्त ही न्यून है, प्रतिवर्ष 20000/– की आय आम के पेड से होती थी। निर्मित दुकान की राशि ही दी गई है, एरिया/ भूमि की राशि की गणना की जाकर राशि नहीं दी गई है। 500/–रू0 प्रतिवर्ग फीट की दर से 13.50 लाख दुकान की किमत के स्थान पर मात्र 264925/– निर्धारित की गई है। नीलगिरी के पेड़ों को जोड़ा जाकर मुआवजा राशि नहीं दी गई है। मौके पर कुआ स्थित था, जिसकी किमत 2.00 लाख होती है, किन्तु कुए का अवार्ड जारी नहीं किया गया है। अतः अवाप्ति में ली गई सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों की नियमानुसार गणना की जाकर अवार्ड जारी कर राशि दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। इसके साथ ही कथन किया कि अवार्ड की राशि समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को नहीं दी जाकर एक ही भाई के खाते में जमा करवा दी गई है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रस्तुत किये गये तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अधिगृहण हेतु जारी अवार्ड राशि के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अवार्ड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अधिगृहण की गई भूमि का अवार्ड के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कुशलगढ द्वारा ग्राम वाजवाआंबा में संशोधित अवार्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया है, तथा उसकी 2 गुणा मुआवजा राशि 187480/– निर्धारित की गई है। पटवारी शक्करवाड़ा एवं तहसीलदार, सज्जनगढ से प्राप्त राजस्व अभिलेख एवं मौके की जांच रिपोर्ट के आधार पर मकान/ दुकान एवं आम का पेड पाया गया, जिसकी किमत क्रमशः

264925/– एवं 900/– कुल राशि 265825/– निर्धारित की जाकर भूमि एवं संरचनाओं की कुल किमत पर 12 प्रतिशत वार्षिक क्षतिपूर्ति ब्याज की भी गणना की गई है। इस प्रकार भूमि की किमत का 2 गुना एवं संरचनाओं की किमत को मिला कर इस पर 100 प्रतिशत तोषण भी दिया गया है। जहां तक कि प्रार्थी का कथन है कि संरचनाओं (मकान/दुकान एवं आम) की किमत का 2 गुना नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में The First SCHEDULE (See section 30(D) के बिन्दु संख्या 4 Value of assets attached to land or building में अंकित है कि To be determined as provided under section 29. जिसमें स्पष्ट प्रावधान निर्धारित किया गया है कि बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाए, इसमें कहीं भी बाजार मूल्य को दुगुना करने का उल्लेख नहीं है। section 29. में स्पष्ट उल्लेख है कि कुल मुआवजा राशि का 100 प्रतिशत Solatium दिया जाना है, जिसकी पालना भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कर दी गई है। विद्वान अभिभाषक, प्रार्थीगण का कथन कि अवार्ड की राशि समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को नहीं दी जाकर एक ही भाई के खाते में जमा करवा दी गई है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस व्यक्ति के अकेले के खाते में राशि जमा करवाई गई है, न ही कोई अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में विपक्षी संख्या 3 भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ) द्वारा जारी अवार्ड में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही समझते हैं। अतः प्रार्थीगगणों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ) द्वारा जारी किया गया अवार्ड को यथावत् रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा